राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद

संख्या–12 (लो0सू0अ0)/2023–24

श्री गुलाम सरवर आजाद, मेवा साव लेन, सुल्तानगंज, पोस्ट–महेंदु, थाना–सुल्तानगंज, जिला–पटना, पिन–800006

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
27.01.2023	श्री गुलाम सरवर आजाद, मेवा साव लेन, सुल्तानगंज, पोस्ट–महेंदु, थाना–सुल्तानगंज, जिला–पटना, पिन–800006 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–20.01.2023 इस कार्यालय में दिनांक– 25.01.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 487467 दिनांक–20.01.2023 जो प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पक्ष में देय है, संलग्न है। इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु लेखा शाखा को भेजे। अपीलकर्त्ता श्री गुलाम सरवर आजाद ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–05.12.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–05.12.2022 की छाया प्रति भी संलग्न की है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–05.12.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–.21.02.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 27/1/2023 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या–12 / 2023–24 (88 / 2022–2023)

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
21.02.2023	दिनांक–27.01.2023 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। लोक सूचना पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री गुलाम सरवर आजाद, मेवा साव लेन, सुल्तानगंज, पोस्ट–महेंदु, थाना–सुल्तानगंज, जिला–पटना, पिन–800006 से प्राप्त प्रपत्र 'क' दिनांक–01.12.2022, राज्यपाल सचिवालय, पटना में दिनांक–08.12.2022 को प्राप्त हुआ है। प्रपत्र 'क' दिनांक–01.12.2022 को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना से संबंधित होने के कारण इसे लोक सूचना पदाधिकारी, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना को राज्यपाल सचिवालय, पटना के पत्रांक–257 दिनांक–22.12.2022 (प्रपत्र 'ड़' में) हस्तांतरित किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि आवेदक को भी भेजी गयी है। अपीलार्थी श्री गुलाम सरवर आजाद ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष यह अपील सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण दायर किया था। लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा माँगी गई सूचना पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में होने के कारण प्रपत्र 'ड़' में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (3) के हस्तांतरित कर दिया गया है, तो प्रथम अपील पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर की जानी चाहिए। अपीलार्थी ने गलत अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपना अपील दायर किया है। अतः इस वाद में अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 21/2/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	